विचार बिन्दु

जिसने अकेले रह कर अकेलेपन को जीता उसने सब कुछ जीता। –अज्ञात

सांसदी बहाली हेतु राहुल गांधी संघर्ष की ओर

'भारत' हमारे देश का नाम है। भारत से मिलकर भारत शब्द बना है, जिसका अर्थ है, भा याने धर्म रत याने लीन होना। भारत धर्म प्रधान देश है। भारत धर्म निरपेक्ष देश है, यहां सभी नागरिकों को अन्त:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। भारत का अपना संविधान है। भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो एक मूल अधिकार है। भारतीयों के लिए मूल कर्त्तव्य भी हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमामय जीने का अधिकार देता है और गारण्टी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जावेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(क) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना है। उक्त अधिकार का प्रयोग करते समय यह निश्चित करना होगा कि इससे भारत की प्रभुसत्ता राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि पर, सदाचार, न्यायालय की अवमानना पर विपरीत असर नहीं होगा। राज्य को अधिकार होगा कि वह उक्त प्रतिबंधों के दायरे में नागरिकों के आचरण को बांधने हेतु कानून बना सकेगा। अभिव्यति का अधिकार मीडिया, टीवी, अखवार सभी को दिया है।

आईपीसी की धारा 500 के तहत यानी मानहानि का अपराध अनुच्छेद 19(क) के संबंध में संवैधानिक नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब तक खण्ड (2) की भावना का अतिरेक नहीं करती उसे आपराधिक कृत्य मानना सर्वथा गलत है।

किसी भी व्यक्ति की मानहानि की अर्थ है उस व्यक्ति के यश को आघात पहुंचाना। मानहानि कथन व लेखन दोनों प्रकार से हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई एक्ट की धारा 66(क) में जिसमें सोशल मीडिया पर कम्प्यूटर या मोबाईल फोन से आक्रामक व आपत्तिजनक झूठा या मानहानि कारक संदेश भेजना, अपराध माना है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण माना है और अवैध करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि धारा 500 भा.द.स. के अपराध को असंवैधानिक करार दिया जा सकता। इंग्लैण्ड की तरह मानहानि कारक अभिवचन व लेखन द्वारा किया गया कृत्य हर्जे के हेतु वादकारक हो सकता है और यदि वह ब्रीच ऑफ पीस फैलाता है तो फौजदारी कार्यवाही हो सकती है। दिल्ली राज्य के सूचना व प्रचार विभाग ने एक सर्कुलर में कहा था कि यदि दिल्ली सरकार से संबंधित किसी अधिकारी को लगता है कि प्रकाशित सामग्री से सरकार और स्वयं की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, तो जांच होने के बाद धारा 499/500 आईपीसी के तहत इस्तगासा चलाने की इजाजत दी जा सकती है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने अपने एक लेख में कहा था कि केजरीवाल को मानहानि की धारा को खत्म करने की बात करनी चाहिये, किन्तु वे स्वंय अंग्रेजो के जमाने के अपराध के तहत सर्कुलर जारी कर रहे हैं।

दार्शनिकों का मत है धर्म शास्त्रों का आधार आचार शास्त्र है। पुराणों के अनुसार आचार से ही धर्म का उद्भव है। पारसी हुमता, हुबल व हुभरस्त अर्थात नेक विचार, नेक वचन, नेक कर्म पर आधारित है। ईसाई धर्म मे शुद्धता व सत्यनिष्ठा पर बल दिया है। सिख धर्म में आचार को सत्य से भी ऊँचा माना है। जैन मत में सदाचार के बिना धर्म प्राण रहित है, व्यक्ति के लिये ही नहीं अपितु कल्याणकारी राज्य का भी कर्त्तव्य है कि उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ भी शुद्धता के साथ हो। शराब की आय से कल्याणकारी राज्य का संचालन नहीं हो सकता। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमन्त प्रच्छक ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुये कहा था कि राजनीति में भी शुचिता की आवश्यकता है।

सन् 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार करते हुये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव भाषण में कथित रूप में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों? राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में अपने भाषण में चुनाव रैली के दौरान दिनांक 13 अप्रेल, 2019 को कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों? सूरत (वेस्ट) के बीजेपी, विधायक पुर्नेश मोदी ने मानहानि का इस्तगासा दायर किया था दिनांक 02.05.2019 को चीफ जुडिशियर मजिस्ट्रेट सूरत ने समन्स जारी किये थे। दिनांक 10.10.2019 को राहुल गांधी ने वहां उपस्थिति दी व Not Guilty Plead किया। सूरत की कोर्ट ने वहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7 जुलाई 2023 को फैसला सुनाया और राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 वर्ष की सजा दिनांक 23.3.2023 को सुनाई। इसी सजा के विरूद्ध राहुल गांधी हाईकोर्ट गये। इससे पूर्व अप्रेल 20 राहुल गांधी सेशन्स कोर्ट में अपील में गये थे। अपील करना एक अधिकार है, अत: कोर्ट ने अपील को एडमिट किया। सेशन्स कोर्ट ने Sentence को Suspend किया, किन्तु Conviction को स्टे नहीं किया। इसके विरूद्ध राहुल गांधी गुजराज हाईकोर्ट गये। मई 2, को बहस पूरी हुई जुलाई 7 को सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की रिविजन पिटीशन में कन्वीकशन को स्टे करने से इन्कार किया।

राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष अपील करना चाहिये, किन्तु विलम्ब हो गया है अतः एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का निर्णय कांग्रेस से लिया है। यह तकनीकी मामला है राहुल गांधी अपने यशस्वी एडवोकेट्स की राय के अनुसार ही मुकदमा करेंगे।

यहां यह लिखना समीचीन होगा कि सूरत की कोर्ट्स का राहुल गांधी के Disqualification से कोई सरोकार नहीं है। ससपेन्शन का संबंध पार्लियामेन्ट के द्वारा पास किये गये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से है। संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्य की सदस्यता के लिये निरर्हतायों (अयोग्यता) का उल्लेख है। अनुच्छेद 102 के उप अनुच्छेद (म) में यह प्रावधान है कि यदि वह सदस्य, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निरर्हित किया गया हो। चूंकि सूरत कोर्ट के निर्णय की कापी किसी ने चुनाव आयोग को भेज दी और प्राप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने 2 वर्ष के Conviction के कारण 20 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को संसद की सदयता से Disqualified कर दिया और इस प्रकार संसद की वायनाड (केरल की) सीट वेकेन्ट हो गई। 26 अप्रेल 2023 को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में Conviction को स्टे करने से इन्कार कर दिया। 2 मई 2023 को बहस पूरी हुई और 07.07.2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे देने से इन्कार कर दिया।

वायनाड की सीट वेकेन्ट होने के कारण जन प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 151ए के तहत चुनाव आयोग की उस सीट का चुनाव 6 माह की अवधि में कराना अनिवार्य है। चुनाव आयोग का कर्त्तव्य है कि 22 सितम्बर 2023 तक Mid Term Election करा दे। 17वीं लोकसभा का काल एक वर्ष रह गया है अत: चुनाव अनिवार्य है। चुनाव नहीं रोका जा सकता।

राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष अपील करना चाहिये, किन्तु विलम्ब हो गया है अत: एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का निर्णय कांग्रेस से लिया है। यह तकनीकी मामला है राहुल गांधी अपने यशस्वी एडवोकेट्स की राय के अनुसार ही मुकदमा करेंगे।

लेखक ने स्पष्ट किया है कि सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 वर्ष की सजा राहुल गांधी को दी है। सुयोग्य मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा मानहानि के अपराध की यानी धारा 499/500 आईपीसी के तहत दी है। Disqualification से केस की ट्रायल का कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 102 में सांसदों की निरर्हिताओं का उल्लेख है और अनुच्छेद 103 में यह कहा गया है यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) में वर्णित किसी निरर्हितता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जावेगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यह भी ध्यान रहे कि Disqualification किसी अधिकारी द्वारा या किसी कोर्ट के आदेश से नहीं है अपितु "By or under any law made by Parliament" है। इसका अर्थ है Disqualification Automatic है। ऐसा माना जाता है कानून सबसे ऊपर है, न्यायाधीश को भी कानून मानना होगा, क्योंकि न्यायाधीश को Slave of the LaW कहा जाता है।

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने दिनांक 07.07.2023 के आदेश से एमपी व कांग्रेस के बडे नेता की बहस को निगरानी में नकार दिया। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इन्कार करतु हुये कहा–

"Gandhi is seeking a stay on conviction on absolutely non existent ground. Stay on conviction is not a rule. As many as 10 cases are pending against (Gandhi). It is needed to have purity in politics - A complaint has been filed by the grandson of veer Savarkar in Pune Court. Refusal to stay conviction would not in any way result is injustice to the applicant…… There are no reasonable grounds to stay conviction. The conviction is just and proper."

गुजरात हाईकोर्ट का यह मत है कि मानहानि का अपराध पब्लिक केरेक्टर का है, जिसमें मूल अधिकार व व्यक्ति की गरिमा आपस में मिले हुये हैं। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि राजनीति में भी पवित्रता होनी चाहिये। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी गई है क्योंकि जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने माना है यह अपराध Serious Nature का है और एक बहुत बडा चिन्हित वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। बाई इलेक्शन की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है चाहे चुनाव छोटे पीरियड के लिये ही क्यों न हो? जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा, आदेश में दखल की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी देश की बडी पार्टी के नेता हैं। वे बडे जनप्रिय राजनैतिक भी हैं उनका कर्त्तव्य है कि वे एक बडे वर्ग के यश व गरिमा की भी रक्षा करेंगे।

संसद के सदस्य की निरर्हता जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 8(3) से संबंध है। इससे इन्कार नहीं हो सकता कि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है, और सजा होते ही सीट वेकेन्ट हो जाती है तथा जनप्रतिनिधित्व एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 151ए स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि सीट वेकेन्ट होने की तारीख से 6 माह में बाई इलेक्शन होना चाहिये। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 103 में यह Mandate दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने निर्णय से पूर्व सदस्य की निरर्हता के बाबत चुनाव आयोग की राय भी लेंगे।

राहुल गांधी के पास सांसदी अयोग्यता को चुनौती देने के तीन कानूनी रास्ते हैं। पहला रास्ता मानहानि के अपराध 499/500 आईपीसी की वैधानिकता को चुनौती देना। दूसरा, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना व तीसरा मार्ग है, संविधान के अनुच्छेद 102/103 के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन करना। अयोग्यता की वैधानिकता पर निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

अजमेर में प्रदेश का पहला सोलर संचालित डबल डेकर क्रूज़ जल्द संचालित होगा

क्रूज पर बैठ सकेंगे 150 लोग, 45 मिनट का होगा एक राउंड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, इंटीरियर का चल रहा है काम

अजमेर, (कासं)। एतिहासिक आनासागर झील में प्रदेश के पहले सोलर डबल डेकर क्रूज का शहरवासियों के साथ पर्यटक भी लुत्फ उठा सकेंगे। जल्द ही अजमेरवासियों को इसकी सौगात मिलने जा रही है। आनासागर झील में फिलहाल डबल डेकर क्रूज के इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है। यह क्रूज सोलर पैनल से चलेगा यह सौर ऊर्जा संचालित क्रूज होगा और सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से ही चलाया जाएगा।

अजमेर में डबल डेकर क्रूज लगभग बनकर तैयार हो गया है। क्रूज में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है। यह क्रूज डबल डेकर होगा और इसकी लंबाई लगभग 22 मीटर और चौड़ाई लगभग 8 मीटर है। यह क्रूज ईंधन से चलने के बजाय सोलर पैनल से संचालित होगा और सोलर पैनल से एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी का एक बड़ा पैनल भी इसमें लगा होगा। इसके प्रथम तल पर 75 लोगों के बैठने की जगह होगी और ऊपर के तल में भी 75 लोगों के बैठ सकते हैं। शहरवासी और पर्यटक डबल डेकर क्रूज में बैठकर झील का आनंद ले सकते हैं। यहां पर किसी कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। इस डबल डेकर क्रूज में कैंटीन समेत सारी सुख-सुविधाएं होगी।

सोलर डबल डेकर क्रूज।

सौर ऊर्जा से चलने वाला डबल डेकर लक्जरी क्रूज पर्यावरण संरक्षण में काफी सहायक होगा। धीमी रफ्तार से 45 मिनट में क्रूज आनासागर झील का एक चक्कर पूरा करेगा। इस क्रूज में एक बार में करीब 150 लोग सवार हो सकेंगे। क्रूज का नीचे का हिस्सा वातानुकूलित होगा और ऊपर वाला हिस्सा खुला होगा। इसमें कैफिटेरिया और महिला-पुरूष के लिए बायो टॉयलेट के साथ ही सुरक्षा के मानकों का पालन किया गया है। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं क्रूज के संचालन के दौरान इसके साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए एक बोट भी चलेगी। यदि किसी को बीच में ही उतरना है अथवा अन्य कारण से किसी को क्रूज से बाहर आना है तो इस बोट की मदद से उसे झील के किनारे लाया जा सकेगा। द्वितीय तल होगी कैप्टन की केबिन डबल डेकर क्रूज के द्वितीय तल पर रूफ टॉप के साथ कैप्टन की केबिन होगी। कैप्टन इसी केबिन से क्रूज का संचालन करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक क्रूज के द्वितीय तल पर बैठकर झील के साथ प्रकृति का भी आनंद उठा सकेंगे।

- **इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं क्रूज के संचालन के दौरान इसके साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए एक बोट भी चलेगी।**

अब सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों को किफायती भोजन उपलब्ध होगा

अजमेर, (कासं)। अजमेर मण्डल के अजमेर, आबूरोड व उदयपुर स्टेशनों पर अब सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों को भी आसानी से किफायती भोजन उपलब्ध हो सकेगा। रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय के आदेशों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के डिब्बों के यात्रियों को किफायती भोजन (इकोनोमी मील) आसानी से उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों के प्लेटफॉर्म एक पर गाड़ी के सामान्य श्रेणी कोचों के रुकने के स्थान को चिन्हित कर वहाँ काउन्टर, स्टॉल की स्थापना की गई है ताकि इस श्रेणी के रेल यात्रियों को किफायती भोजन (इकोनामी मील) आसानी से उपलब्ध हो सके।

अजमेर स्टेशन पर मदार स्टेशन छोर तथा दौराई स्टेशन छोर की ओर प्लेटफार्म नंबर एक पर जहां गाड़ी के सामान्य श्रेणी कोच आकर रुकते हैं वहां इकोनामी मील स्टॉल स्थापित की गई है। इसी प्रकार आबू रोड स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक पर अहमदाबाद छोर तथा अजमेर छोर पर जहां गाड़ी के सामान्य कोच रुकते हैं वहां इकोनामी मील के लिए स्टॉल लगाई गई है। इसी प्रकार उदयपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक पर राणा प्रताप नगर छोर तथा हिम्मतनगर छोर पर जहां गाड़ी के सामान्य श्रेणी के कोच रुकते हैं वहां इकोनामी मिल स्टॉल स्थापित की गई है।

- **अजमेर मण्डल में अजमेर, आबूरोड व उदयपुर स्टेशनों पर सुविधा शुरू**
- **किफायती खाना काउंटरों का उपयोग अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा**

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार महला के अनुसार लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा सामान्य श्रेणी कोच के सामने ही सस्ता खाना (इकोनामी मील) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि भीड़ भाड़ की स्थिति मे सामान्य श्रेणी के यात्री आसानी से खाना ले सके। इससे यात्रियों को गाड़ी छूटने का भय नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म पर खाना लेने की वजह से हड़बड़ाहट में ट्रेन में चढ़ते व उतरते समय होने वाली रेल दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में सामान्य श्रेणी के कोचों के यात्रियों के किफायती भोजन की पर्याप्त सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया की जनरल कोचों में किफायती भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म जहां ट्रेन के सामान्य कोच के डिब्बे आकार रुके वहाँ किफायती खाना (इकोनामी मील) के काउंटर लगाए जाए। काउंटरों का उपयोग अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा जिन्हें प्लेटफ़ॉर्म वेंडिंग की मौजूदा नीति के तहत इकोनॉमी भोजन बिक्री के लिए अनुमति दी गई है। फिलहाल यह योजना 6 महीने की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर लागू की गई है जिसे सफल होने पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

नवनिर्मित सड़क पहली बरसात में ही क्षतिग्रस्त, घटिया निर्माण का आरोप

श्रीकरणपुर, (निसं)। कस्बे के वार्ड 23 आदर्श नगर में नवनिर्मित सड़क पहली बरसात में क्षतिग्रस्त होने पर घटिया निर्माण व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने पालिका के कार्यवाहक ईओ व तहसीलदार सुभाषचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

वार्ड के अजय शर्मा, प्रमोद भाटी, विनोद कुमार, नीरू व विष्णु ने बताया कि उनके वार्ड में पीडब्लूडी विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व वार्ड में सड़कों का निर्माण करवाया गया था। निर्माण अमानक व घटिया होने के कारण पहली बरसात में ही जगह-जगह सड़क में गड्ढे बन गए व क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, वार्ड में बनाई गई नालियों का मिलान न होने से बरसात का पानी घरों की नींव में घुसने से घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वार्ड वासियों ने घटिया निर्माण की जांच के साथ भ्रष्टाचार व मिलीभगत कर सरकार को चूना लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वार्ड वासियों की शिकायत पर तहसीलदार सुभाषचंद्र शर्मा, पीडब्लूडी के सहायक अभियंता विजय मीणा, कनिष्ठ अभियंता रोहित जिंदल, नगर पालिका सफाई निरीक्षक गौरीशंकर व पालिका उपाध्यक्ष अशोक कुमार गरुड़ा ने वार्ड में निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

- **वार्डवासियों ने पालिका के कार्यवाहक ईओ व तहसीलदार सुभाषचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा**
- **तहसीलदार, पीडब्लूडी के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पालिका सफाई निरीक्षक ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया**

सहायक अभियंता विजय मीणा ने बताया कि अभी निर्माण कार्य जारी है तथा निर्माण कार्य में अमानक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। सहायक अभियंता ने कनिष्ठ अभियंता को सड़क के सैंपल जांच के लिए भरने के निर्देश दिए।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के स्टेट अवॉर्ड घोषित

जोधपुर, (कासं)। कला क्षेत्र में राज्य के सर्वोच्च सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा जोधपुर में आयोजित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बैठक में की गयी। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश ने वर्ष 2023-24 अवार्डों की घोषणा करते हुए बताया कि अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान, देश के विख्यात एवं वरिष्ठ नाट्यय निर्देशक उदयपुर के भानु भारती को दिया जायेगा, जबकि विभिन्न विधाओं में अवार्ड के अन्तर्गत शास्त्रीय गायन के लिए सुमन यादव (जयपुर), शास्त्रीय वादन रवि पंवार (मुम्बई), शास्त्रीय नृत्य कत्थक गीता रघुवीर (जयपुर), सुगम संगीत रफीक सागर (बीकानेर), लोक संगीत परवीन मिर्जा (जयपुर) एवं भुगडे खान मांगणियार (बाडमेर), लोक नृत्य डॉ. रूपसिंह शेखावत (जयपुर), कठपुतली कला खेरातीराम भाट (नागौर), लोकनाट्यय दिलीप भट्ट (जयपुर), रंगमंच-अभिनय गीता भट्टाचार्य (जोधपुर), रंगमंच-निर्देशन साबिर खान (जयपुर), रंगमंच-लेखन अशोक राही (जयपुर), रंगमंच-रूप सज्जा राधेलाल (जयपुर) तथा समग्र कला साधना के लिए कोटा के संस्कृतिधर्मी शरद कुमार तैलंग को अकादमी अवार्ड प्रदान किये जायेंगे।

- **जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बैठक आयोजित, कला क्षेत्र में राज्य के सर्वोच्च सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा**
- **भानु भारती को सर्वोच्च फेलोशिप, 13 कलाकारों को अवार्ड, छह युवा एवं तीन को बाल पुरस्कार**

अकादमी युवा पुरूस्कारों के अन्तर्गत शास्त्रीय गायन सौरभ वशिष्ठ (जयपुर), शास्त्रीय वादन आशीष रागवानी (जोधपुर), शास्त्रीय नृत्य कत्थक चारू शर्मा (जयपुर), लोक संगीत युसुफ खान मेवाती (अलवर), सुगम संगीत स्वागत राठौड (सिरोही) एवं रंगमंच-निर्देशन के लिए कविराज लईक को पुरस्कृत किया जायेगा। अकादमी की बाल प्रतिभाओं में जयपुर के अबीर तिवारी पखावज वादन, कत्थक नृत्य तनिष्का श्रीवास्तव (जयपुर) और बीकानेर के बाल कलाकार चैतन्य सहल को शास्त्रीय गायन में पुरस्कार दिया जायेगा। अकादमी सचिव लक्ष्मी नारायण बैरवा ने बताया कि सर्वोच्च रत्न सम्मान के तहत एक लाख रूपये, ताम्रपत्र व अंगवस्त्र तथा अवॉर्ड के अन्तर्गत प्रत्येक कलाकार को इक्यावन हजार रूपये, ताम्रपत्र व अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाता है। युवा पुरस्कार में पच्चीस हजार रूपये, प्रशस्ति चिह्न तथा बाल पुरस्कार में ग्यारह हजार रूपये व प्रशस्ति चिह्न प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार शीघ्र ही राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा समारोह पूर्वक प्रदान किये जायेंगे। अकादमी अध्यक्ष ने सभी अवार्डी एवं पुरस्कृत कलाकारों को बधाई प्रेषित है।

अकादमी सचिव लक्ष्मीनारायण बैरवा ने बताया कि अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश की अध्यक्षता में आयोज्य इस बैठक में उपाध्यक्ष अनिता ओर्डिया, कोषाध्यक्ष रमेश भाटी, सदस्य शब्बीर हुसैन, गरिमा भार्गव, मेहबूब अली, कांति जैन, अभिषेक ढेनवाल, दीपक पंवार, महेन्द्र लालस, गंगा कलावंत, अशोक जोशी व दिलीप सिंह चौहान ने भाग लिया।

राशिफल शुक्रवार 14 जुलाई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

प्रथम सावन मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:27 तक, गंड योग प्रात: 8:27 तक, कौलव करण प्रात: 6:51 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-वृष, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 10:52 तक है। आज रोहिणी व्रत है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:28 तक, लाभ-अमृत 7:28 से 10:51 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:46, सूर्यास्त 7:19

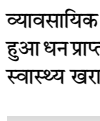

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

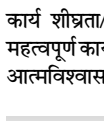

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

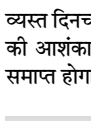

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मकर
परिजनों का व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

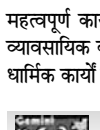

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

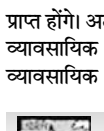

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

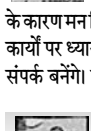

कुंभ
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

कर्क
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। धन हानि हो सकती है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी।